FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

अलादु वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राह प्रावीन नं. 34/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिखबाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/3/2021 को पेश हो। Naruj सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/08/2021 को पेश हो।	
06/08/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 02/10/2021 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02/10/2021	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जो उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेठा-सेठ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड व धोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेठे को लेकर विवाद रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेठे का सही ज्ञात करने हेतु नेखमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं व अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी दोनों पक्षों के रूबरू मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1226 दिनांक : 02/10/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अणदु पत्नि ताराराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी रामसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. किशनाराम पुत्र खेराजराम वगैरा जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 34 / 21

आदेश

मौजा रामसरिया पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 403 रकबा 4.4495 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 12.8388 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनरथ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक : वाद / 1227 to 1231 दिनांक : 02/X/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अणदु वगैरा।
4. विप्रार्थीगण किशनाराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु